राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

''इन्वेस्टिगेशन ऑफ साईबर क्राइम केसेज''

कोर्स रिपोर्ट

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में प्रशिक्षण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार ''इन्वेस्टिगेशन ऑफ साईबर क्राइम केसेज'' विषय पर 06 दिवसीय कोर्स दिनांक 02.09.2019 से 07.09.2019 तक आयोजित किया गया है।

इस कोर्स में राजस्थान के विभिन्न जिलों से कुल 15 प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराई जिसमें 12 पुलिस निरीक्षक तथा 03 पुलिस उप निरीक्षक रैंक के अधिकारी शामिल हुए। इस कोर्स की कोर्स डायरेक्टर श्रीमती सुमन चौधरी, अति0 पुलिस अधीक्षक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने कोर्स की प्रस्तावना के साथ कोर्स की शुरूआत कर ''इन्वेस्टिगेशन ऑफ साईबर क्राइम केसेज'' के विभिन्न आयामों के बारे में बताया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि प्रात: 10.00 से सांय 05.00 तक रही है, इसमें साईबर अपराधों के विषय पर प्रथम दिवस को प्रथम व द्वितीय सत्र में श्री अनिल पारासर जोइन्ट डायरेक्टर **NIC,** जयपुर ने सामान्य कंप्यूटर शब्दावली, विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट की मूल बातें, विभिन्न नेटवर्क घटक, इंटरनेट का अवलोकन आदि विषयों की जानकारी प्रदान की। प्रथम दिवस के अन्तिम व तृतीय सत्र में श्री परमेन्द्र सिंह ने प्रथम उत्तरदाता की भूमिका (प्राथमिक राहत, संरक्षण और साक्ष्य संग्रह) के बारे में विस्तृत रूप से बताया।

द्वितीय दिवस को प्रथम व द्वितीय सत्र में श्री निशीथ दीक्षित, एडवोकेट, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने आईटी एक्ट 2000 और संशोधन -2008 का अवलोकन, न्यायालय के कानून में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य

की स्वीकार्यता, धारा 65 बी का महत्व, हिरासत में लेने की कड़ी, संबंधित सीआरपीसी, आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम अनुभाग, साइबर अपराधों से संबंधित न्यायालय के निर्णयों आदि को विस्तार से समझाया। तृतीय सत्र में श्री गजेन्द्र शर्मा उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना साईबर क्राईम, राजस्थान, जयपुर ने भारत योजना के ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, कम्प्यूटर / नेटवर्क, बैंक धोखाधड़ी आदि जैसे धोखाधड़ी के लिए अलग-अलग अनुभाग, वेब संबंधित अपराध आतंकवाद से संबंधित अनुभाग की जानकरी प्रदान की। तृतीय सत्र में श्री गजेन्द्र शर्मा उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना साईबर क्राईम, राजस्थान, जयपुर "पहले उत्तरदाता की भूमिका" और METADATA का महत्व को समझाया।

तृतीय दिवस को प्रथम व द्वितीय सत्र में श्री विश्वास भारद्वाज, अतिरिक्त निदेशक, एफ एस एल, जयपुर ने डिजिटल साक्ष्य की खोज और जब्ती, लिखें अवरोधक की तरह हार्डवेयर का उपयोग, विभिन्न सॉफ्टवेयर उपकरण, ऑडियो/ वीडियो प्रमाणीकरण तकनीकों का उपयोग, हैश वैल्यू की अवधारणा के बारे में अपना विस्तृत व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में श्री आशीष कुमार ने कमजोरता, हैकिंग, कंप्यूटर सुरक्षा, सिस्टम सुरक्षा, ब्राउज़र सुरक्षा, ईमेल सुरक्षा, सोशल मीडिया खाता सुरक्षा, डेटा सुरक्षा आदि के बारे में समझाया।

चतुर्थ दिवस को प्रथम व द्वितीय सत्र मनीष शर्मा, इंस्पेक्टर ए0टी0एस0, जयपुर ने सीडीआर, आईपीडीआर और टॉवर डंप का विश्लेषण, एमएस एक्सेल-सॉर्टिंग, पिवट टेबल का उपयोग करने के बारे में विस्तार से समझाया। तृतीय सत्र में श्री शेखर सिंह अनुसंधान मैनेजर, ने बैंकिंग धोखाधड़ी की जांच, ऑनलाइन शॉपिंग / लेनदेन, बैंकिंग कार्ड (एटीएम), पूरे मामले के अध्ययन के साथ साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया को समझाया।

पंचम दिवस को संपूर्ण सत्र में श्री मिलिन्द अग्रवाल, साईबर एक्सपर्ट, जयपुर ने प्रॉक्सी सर्वर और वीपीएन व आईपी पते को छुपाना, ई-मेल और संबंधित अपराध, वेबसाइट और संबंधित अपराध को विस्तार से बतायाा

षष्टम दिवस को संपूर्ण सत्र में श्री उम्मेद मील, साईबर एक्सपर्ट ने मोबाइल संचार प्रौद्योगिकी और सेलुलर नेटवर्क की मूल बातें, मोबाइल फोन में मोबाइल फाइल सिस्टम, डाटा स्टोरेज और हार्डवेयर का उपयोग मोबाइल फोन से साक्ष्य संग्रह, मोबाइल फोन अवरोधन, मोबाइल में स्टोरेज डिवाइस जैसे सिम, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, रैम, क्लाउड आदि। भारत सरकार योजना CERT-IN के उपयोग आदि विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिवस में दिनांक 07.09.2019 को 01:30 बजे प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल समस्त प्रतिभागियों से समग्र कोर्स का मूल्यांकन प्रपत्र भरवाया गया। कोर्स का समापन-समारोह अकादमी स्थित साईबर लैब में किया गया जिसके मुख्य अतिथि श्री मनीष अग्रवाल, उपनिदेशक एवं प्राचार्य, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने अपने उद्बोधन के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किये। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्त में कोर्स निदेशक श्रीमती सुमन चौधरी के द्वारा कोर्स के संचालन में सहभागियों एवं सम्पूर्ण प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित कर कोर्स समाप्ति की घोषणा की गई।